

**नियम 91 : दुभाषिया को शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप**

साक्षी की परीक्षा करने के लिए, बेंच अधिकारी या न्यायालय अधिकारी के समक्ष, दुभाषिया को शपथ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान निम्नलिखित प्रारूप में दिलाई जाएगी—

“मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं साक्षी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों और दिए गए साक्ष्यों का ईमानदारी और सच्चाई से अनुवाद करूँगा और अनुवाद के लिए मुझे दिए गए सभी दस्तावेजों का सही और सटीक अनुवाद करूँगा।”